

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(5) आरडी / नरेगा / मा.द. / 2009-10

जयपुर, दिनांक:-

13 OCT 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- प्रत्येक कार्यस्थल पर संधारणीय "नरेगा कार्यस्थल पुस्तिका" के संबंध में जारी दिशा निर्देश।

प्रसंग:- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.09 एवं 30.09.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि नरेगा योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नरेगा कार्यस्थल पुस्तिका एवं नये प्रारूप में मस्टररोल को छपवाने व उपयोग में लेने के दिशा निर्देश दिये गये थे। इसके संबंध में आप अभी से कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि 1 नवम्बर, 2009 के प्रथम पखवाड़े से वर्तमान में दिये गये निर्देशों के अनुसार नये मस्टररोलों एवं कार्य स्थल पुस्तिका के अनुसार कार्य स्थल पर नई व्यवस्था हो सके।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस